

# कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

## आदेश



उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित 1994) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निमित्त होने वाली शिक्षण संस्थान गुरु तेगबहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट निदेशक श्री मोहन सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह द्वारा स्वार्न इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज खसरा संख्या 1237 क व 1237 ख ग्रामसभा सिसर्स निगौंहा तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ में शिक्षण संस्थान निर्माण काय कराने हेतु में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार कुल कवर्ड एरिया 15201.83 वर्गमीटर के शिक्षण संस्थान भवन का मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण, यू.पी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, में नहीं है। मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से मानचित्र की स्वीकृति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है कि—

- 1—सीलिंग/भू-अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू-स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा मा० न्यायालय में वाद योजित विचाराधीन होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृति मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- 2—मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।
- 3—स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा, जो कि मौके पर निरीक्षण करते समय अभियन्ता/अवर अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा जांच किया जा सके।
- 4—कार्यस्थल पर होने वाले कार्यों का जिला पंचायत द्वारा दिये गये विज्ञा निर्देशानुसार कराया जायेगा। तथा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में जिला पंचायत के अधिकारी से समय निर्धारित कर कार्यों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 5—भवन निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने की उपरान्त सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जिला पंचायत से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात ही भवन उपयोग में लाया जायेगा। सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत अंतिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6—निर्माण की स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्राप्त होने के छः माह के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि किसी कारण निर्माण कार्य उक्त निर्धारित अवधि में प्रारम्भ नहीं हुआ है तो प्रार्थी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अध्यक्ष पुनः विचार कर कार्य करने की अवधि बढ़ा सकते हैं, किन्तु यह अवधि किसी भी विज्ञा में स्वीकृति से दो साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।
- 7—मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल तीन वर्ष तक वैध है। समस्त निर्माण विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नये निर्माण तथा पुराने व्यवसायिक भवनों में परिवर्तन या परिवर्धन के कम से कम तीन माह पूर्व भूमि का मालिक कार्यालय जिला पंचायत को उक्त निर्माण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 8—स्थल की साईट से होकर जा रही 132 के.वी. की लाइन के लिए कैरिज छोड़ दिया जाना चाहिए। लो एवं मध्यम वोल्टेज विद्युत लाईन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाचर/क्षैतिज कम्ब 2.50 मी० व 1.20 मी० हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की न्यूनतम दूरी अर्ध्यावर/क्षैतिज कम्ब 3.70 मी० एवं 2 मी० होगी।
- 9—निर्माण करते समय सड़क, सर्विस लेन या सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
- 10—उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम एवं राष्ट्रीय भवन सहिता 2005 के भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एण्ड होजरील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राईजर डाउन कार्नर सिस्टम आदि, इस प्रकार स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 11—आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- 12—दरवाजे व खिडकिया इस तरह से लगाई जायेगी कि जो बाहर खुले तो उनके भाग किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव न रखे।

- 13-पार्को तथा खुले स्थान से मानको के अनुसार ऐसे पेड पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे रह सके तथा पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 14- भवन का वर्षा का पानी, सीवर, एस.टी.पी. एवं नाली का पानी के निस्तारण मानक के अनुसार समीपवर्ती नाला/सीवर बनाकर प्रदूषण रहित करके करेगें।
- 15-भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानको का पालन करना होगा।
- 16-रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अन्तर्गत भवन एवं पक्की सडको के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन पर एक रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
- 17-कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी और प्रत्येक कर्मचारी कार्यस्थल पर सुरक्षाकिट के साथ ही कार्य करेगा।
- 18-कोई भी कम्पनी, व्यक्ति, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 19-अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा कूटरचित/असत्य ओर गलत विवरण दिया है, प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है, प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों तथा प्रस्तावित निर्माण लोगों की भावनाएं भडकाने का माध्यम अथवा आस पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा तथा जिसका समस्त स्वीकृत मानचित्र भू स्वामित्व अभिलेख नहीं माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद में जिला पंचायत लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा।
- 20-उक्त संदर्भित निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार वृक्ष/पौधारोपण मानकानुसार लगाया जाना अनिवार्य है।
- 21-स्वीकृत मानचित्र का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित खसरा/गाटा का एरिया का राजस्व विभाग से संपर्क कर निर्माण प्रारम्भ करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 22-जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया तथा नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, लीड आदि क्षेत्रों को छोड़कर ही भवन निर्माण की स्वीकृति दे सकती है। अतः यदि उक्त भवन जिला पंचायत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में आता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 23-प्रस्तुत भू-अभिलेखों की छायाप्रतियों के आधार पर भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, यदि परियोजना में किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि/ग्राम समाज या स्वीकृत खसरा नम्बरों के अतिरिक्त खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित पायी जायेगी, तो प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 24-मानचित्र की स्वीकृति भूमि/भवन स्वामित्व/अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है, किसी भी प्रकार के विवाद में जिला पंचायत, उत्तरदायी न होगा।
- इस अनुज्ञा पत्र की क्रम संख्या 01 से 23 तक अंकित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, लखनऊ।

### कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 428/नक्शा/जि0प0/2022-2023

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 2- अभियन्ता, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, लखनऊ।

गुरु तेगबहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट निदेशक श्री मोहन सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह द्वारा ग्रामसमा सिर्स (निगोहा) तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, लखनऊ।

दिनांक 15/6/22

कृपया तीनों पार्श्व करें  
कस्टमर कार्ड

# इण्डियन ओवरसीज बैंक

नारो शिक्षा निकेतन शाखा, लखनऊ  
जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत

( प्रपत्र संख्या 3 नियम 36 )

कृपया निम्न धन/चेक जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के  
बचत खाता संख्या 13855 में जमा कर लें।

दिनांक 21/6/22

द्विपक्ष द्वारा लायी गयी	धनराशि ₹ पं.
लेगाइस एल एम्प्लोयर्स इटि निदेशिका ओवरसीज बैंक	152019-00
उपरोक्त के 556010 — 6-6-22	
W M D L P V A S H E A C 3-मौल 21/6 बचत में	152019-00



अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, लखनऊ

सहजान्ची/लिपिक

संख्या

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5  
(नियम 41 देखिये)

"उत्सुल साइडेड कार्बन पेपर पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा।  
परिपत्र दिने के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रकड रूपाय

संख्या \_\_\_\_\_ रसीद संख्या \_\_\_\_\_  
न रजिस्टर संख्या \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ (कपया शब्दों में)

विल संख्या \_\_\_\_\_ के पूर्ण/आंशिक मुण्डान \_\_\_\_\_  
कपया \_\_\_\_\_

रयान \_\_\_\_\_ कपया \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ (कपया पूर्ण रूपाय में)

संख्याकार 500/ \_\_\_\_\_  
21.11.15 \_\_\_\_\_

सीएफएम/03/22-01 जिला पंचायत-02.05.15-2000 रुक (करोड़/पाँच/आकरसें)।

00	जिला पंचायत/क्षेत्र समिति के नाम का रकड रूपाय	00
00	वही संख्या	00
00	रसीद के अनुसार मुण्डानकर्ता का नाम	00
00	रसीद के अनुसार उससे वसूल कां गई धनराशि	00
00	रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई	00
00	रसीद के अनुसार कर-समावर्ती का नाम, विसने	00
00	रसीद का अनुसार कौ _____	00
00	इस कूपन को जमा करने वाली	00
00	आधिकारी का नाम तथा पदनाम	00

RUN BY SHRI GURU TEG BAHADUR EDUCATIONAL TRUST  
 KHASRA NO.-1237 KA & 1237 KHA, SIRSI, NIGOHA, TAHSIL -MOHANALGANJ, RAIBARELY ROAD, LUCKNOW, U.P.

**PROPOSED BUILDING MAP FOR SWARN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES**


(More than 100 beds)

FOR OFFICE USE -


**VIJAY ASSOCIATES**  
 GARY SQUARE PVT. LTD.  
 ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS  
 A MEMBER FOR RERA DELHI  
 HEAD OFFICE: S-14 RAJBHREE PLAZA, MAYAPURAM, LUDHIANA  
 REG. NO. 1422(1)/33-2-2019-1452/2019  
 CONTACT: 9853912597, 9853912575, 9853912499  
 E-MAIL: garysquarepvt@gmail.com, vijayassociates@gmail.com



**BLOCK - A**



**BLOCK - B**



**NOTE :-**

PANCHAYAT RAJYA SHASHNADDEH  
 NO.-1422(1)/33-2-2019-1452/2019,  
 DATED-29 MAY 2018 MAP  
 ACCORDING TO LDA UPV/DH-2016

AR VIJAY YADAV MOB. 9839125975  
 AR GAURAV KR. YADAV MOB. 9919112499

**NADEM**

ACHIEVED F.A.R.	- 1.02
PERM. F.A.R.	- 2.50
ACHIEVED GROUND COV. AREA	- 30%
ACHIEVED GROUND COV. AREA	- 29.76%

**BLOCK - A**

PROP. GROUND FLOOR COVERED AREA	- 2000.55 Sq.M.
PROP. FIRST FLOOR COVERED AREA	- 2000.55 Sq.M.
PROP. SECOND FLOOR COVERED AREA	- 2000.55 Sq.M.
PROP. THIRD FLOOR COVERED AREA	- 2000.55 Sq.M.
MUMTY AREA (FREE FOR FAR)	- 32.62 Sq.M.
TOTAL COV. AREA	- 8002.20 Sq.M.
TOTAL OPEN AREA (A+B)	- 10331.97 Sq.M.
TOTAL COV. AREA (A+B)	- 15136.59 Sq.M.
PERM. GROUND COV. AREA	- 30%
ACHIEVED GROUND COV. AREA	- 29.76%

**BLOCK - B**

PROP. GROUND FLOOR COVERED AREA	- 2000.55 Sq.M.
PROP. FIRST FLOOR COVERED AREA	- 2778.13 Sq.M.
PROP. SECOND FLOOR COVERED AREA	- 2778.13 Sq.M.
PROP. THIRD FLOOR COVERED AREA	- 2778.13 Sq.M.
MUMTY AREA (FREE FOR FAR)	- 32.62 Sq.M.
TOTAL COV. AREA	- 7134.39 Sq.M.
TOTAL COV. AREA (A+B)	- 15136.59 Sq.M.
PERM. GROUND COV. AREA	- 30%
ACHIEVED GROUND COV. AREA	- 29.76%

**AREA STATEMENT**

PLOT AREA = 5500.65 + 8910.00  
 = 14710.65 SQ.M.

**OR :-**

भारतीय वास्तुशास्त्र विभाग के अनुसार बनाई गई है। इसका प्रमाण पत्र प्राप्त है।  
 भारतीय वास्तुशास्त्र विभाग के अनुसार बनाई गई है। इसका प्रमाण पत्र प्राप्त है।  
 भारतीय वास्तुशास्त्र विभाग के अनुसार बनाई गई है। इसका प्रमाण पत्र प्राप्त है।

मानविय स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जायेगा।  
 निर्माण कार्य में पूर्ण कठोरता बरतनी होगी। आवेदन को पत्राचार के अन्तर्गत  
 शासकीय विभाग तथा अधिकांश विभाग/शासकीय विभाग द्वारा प्रेषित  
 पर निर्णय आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।  
 कार्यालय आवेदन संख्या: 17/2019-2020  
 सभी प्रतिवेदनों का पालन करना होगा, अन्यथा निर्माण कार्य रोक दिया जायेगा।  
 विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, टाउन एरिया तथा पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, तो मानविय की स्वीकृति स्वयं निरस्त नहीं की जायेगी।  
 अवर अभियन्ता अभियन्ता अवर मुख्य अधिकारी  
 जिला पंचायत, लखनऊ

**AREA STATEMENT**

PLOT AREA = 5800.65 + 8910.00  
 = 14710.65 SQ.M.

**BLOCK - A**

PROP. GROUND FLOOR COVERED AREA - 2378.13 Sq.Mt.  
 PROP. FIRST FLOOR COVERED AREA - 2378.13 Sq.Mt.  
 PROP. SECOND FLOOR COVERED AREA - 2378.13 Sq.Mt.  
 MUMTY AREA (FREE FOR FAR) - 32.62 Sq.Mt.  
 TOTAL COV. AREA- - 7134.39 Sq.Mt.

**BLOCK - B**


PROP. GROUND FLOOR COVERED AREA - 2000.55 Sq.Mt.  
 PROP. FIRST FLOOR COVERED AREA - 2000.55 Sq.Mt.  
 PROP. SECOND FLOOR COVERED AREA - 2000.55 Sq.Mt.  
 PROP. THIRD FLOOR COVERED AREA - 2000.55 Sq.Mt.  
 MUMTY AREA (FREE FOR FAR) - 32.62 Sq.Mt.  
 TOTAL COV. AREA- - 8002.20 Sq.Mt.  
 TOTAL OPEN AREA (A+B) - 10331.97 Sq.Mt.  
 TOTAL COV. AREA (A+B) - 15136.59 Sq.Mt.  
 PERML F.A.R. - 2.50  
 ACHIVED F.A.R. - 1.02  
 PERML.GROUND COV. AREA - 30 %  
 ACHIVED GROUND COV.AREA - 29.76 %

**DRAWN BY- NADEEM**


**NOTE :-**  
 PANCHAYAT RAJA SHASHNADESH  
 NO.-1422(1)/33-2-2019-1452/2019,  
 DATED-29 MAY 2018 MAP  
 ACCORDING TO LDA UPVIDHI-2016

AR VIJAY YADAV MOB. 9839125975  
 AR GAURAV KR. YADAV MOB. 991912499

SIGN OF OWNER



**BLOCK - A**



**BLOCK - B**

**PROPOSED BUILDING MAP FOR SWARN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
 ( More than 100 beds )**

**RUN BY SHRI GURU TEG BAHADUR EDUCATIONAL TRUST  
 KHASRA NO.-1237 KA & 1237 KHA , SIRS , NIGOHA , TAHSIL -MOHANLALGANJ , RAIBARELY ROAD , LUCKNOW , U.P.**

**FOR OFFICE USE -**

SIGN OF ARCHITECT:  
**VIJAY ASSOCIATES**  
 GARV SQUARE PVT. LTD.  
 A MISSION FOR YOUR DREAM HOME  
 ARCHITECTS, ENGINEERS, CIVIL CONSULTANTS AND GOVERNMENT VALUERS  
 5-14 RAJ-REE PLAZA, AASHYANA LUCKNOW  
 REG.OFFICE: #4 SECTOR 8, AASHYANA, POWER HOUSE, LUCKNOW.  
 CONTACT: 0522-2421932, 9455951405, 9839125975, 991912499  
 E-MAIL: garvsquarepvtltd@gmail.com  
 vijayassociates@yahoo.co.in